राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

क्र. 3552 /SEIAA/2022
दिनांक: 24.3.22

प्रति,

कलेक्टर,
जिला – आगर मालवा (म.प्र.)

विषयः–प्रकरण क्र. 8997 / 2022 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आर.के. इन्फ्रा, पार्टनर, श्री परेश खण्डेलवाल, निवासी ग्राम धरोला, तहसील नलखेड़ा, जिला आगर मालवा (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 12,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 2479 / 4 / 1, 2479 / 4 / 2, 2479 / 3, 2479 / 4 / 3, रकबा 2.00 हेक्टेयर, ग्राम धरोला, तहसील नलखेड़ा, जिला आगर मालवा (म.प्र.)

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 711वीं बैठक दिनांक 09.03.2022 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया .....

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक / पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र क्रं. 1120 दिनांक 14.10.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत होना दर्शित है, जिसका कुल रकबा 3.0 हेक्टेयर है। यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार 01 ओर अन्य खदान का होना परिलक्षित है, जिससे कुल रकबा 5.0 हेक्टेयर से अधिक हो रहा है। जिसके कारण प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत होना प्रतीत होता है। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जिला कलेक्टर आगर मालवा के माध्यम से प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानों की अद्यतन स्थिति की जानकारी 15 दिवस में प्राप्त की जाये, तदानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्त निर्णयानुसार, प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानों की अद्यतन स्थिति की जानकारी 15 दिवस में SEIAA कार्यालय को प्रेषित करें। तदानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 3553 /SEIAA/2022 दिनांक –24.3.22

प्रतिलिपिः–

मेसर्स आर.के. इन्फ्रा, पार्टनर, श्री परेश खण्डेलवाल, निवासी ग्राम धरोला, तहसील नलखेड़ा, जिला आगर मालवा (म.प्र.) ।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी